

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

पवन कुमार बनाम लखीराम आदि

दावा बाबत :- 88 RTA Act

मुकदमा नम्बर :- 147/2021

निर्णय दिनांक :- 21-10-2021

वादी की ओर से वकील विनोद पुनिया की व प्रतिवादी सं० 1, 2 की ओर से वकील उमेश मोहं खरा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 21-10-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

येही भोजा ग्राम के खाता सं० 435/413 के खसरा सं० 168 की 5-489 है, खसरा सं० 211 की 1.201 है, खसरा सं० 634/1 की 5-255 है कुल 10.945 है बारूनी खातदार प्रतिवादी सं० 1 लखीराम के नाम राजस्व रिवाज में पड़े है से लखीराम का नाम कलभजनु किया जाकर वादी पवन कुमार व प्रतिवादी सं० 2 काजरंगलाल का वहिस्सा करार के खातदार काधार वीधित किए जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं० 1 व 2 ने अपना समूह हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 2 को पक्ष में लाया कर मुद्दा कर लिया है इसलिए लागा किए गए हिस्से पर पंजीकृत विभाग का देय पंजीकृत मुद्दा एवं स्टाम्प उभूय अंदा करने व यदि लखी ग्राम व ग्राम के रखे हो तो रखे मुद्दा होने के उपरान्त ही राजस्व रिवाज में अमल दायम किया जावे। राजीनामा का डिक्री का अंग पढा जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)  
(निकर प्रशासक)  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)  
प्र. गा. के संग अ-20-1  
भादरा जिला हनुमानगढ़  
शकुन्तला